ग्राम पंचायत सुई सुरहाड़, विकास खण्ड सदर जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2013 से 03/2016

भाग–एक

1 प्रस्तावनाः–

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्याः PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र•, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत सुई सुरहाड़, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्रीमति कान्ता ठाकुर	01.04.2013 से 22.01.2016
2	श्रीमति अरुणा शर्मा	23.01.2016 से 31.03.2016

सचिव :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री मुकेश कुमार	01.04.2016 से 17.05.2013
2	श्री रोशन लाल शर्मा	18.05.2013 से 31.03.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:– ग्राम पंचायत सुई सुरहाड़, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र•	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही तथा बैंक खातों के दिनांक 31–03–2016 के अन्त शेष में भारी अन्तर	1.80
2	6	वित्तीय नियमों की अवहेलना	
3	6.3	खाता 'ख' के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना।	1.69
4	9	तीन वर्षों से प्राप्य राजस्व की वसूली न करना	0.22
5	10	अनुदान राशियों का अवरोधन	13.22
6	11	संदिग्ध व्यय	1.30
7	12	निविदाओं के बिना किया गया क्रय	0.41

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत सुई सुरहाड़, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 23/06/2016 से 05/07/2016 तक ग्राम पंचायत सुई सुरहाड़ के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 01/2014, 09/2014, 09/2015 व 03/2014, 09/2014, 09/2015 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि॰प्र॰ उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत सुई सुरहाड़, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000/–बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि॰प्र॰ शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं॰ अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015–16/–135 दिनांक 04/07/2016 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :–

पंचायत सचिव़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

4.1 स्व स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्व स्त्रोतों (खाता 'क') की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	41090	52155	93245	51551	41694
2014—15	41694	6497	48191	44691	3500
2015—16	3500	53520	57020	26372	30648

4.2 अनुदानः—

ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता 'ख') का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1 तथा 2** में भी दिया गया है :—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	1234493	4846340	6080833	4594136	1486697
2014—15	1486697	4036284	5522981	4654942	868039
2015—16	868039	8078145	8946184	7624560	1321624

5 रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्त शेष में ₹1.80 लाख का भारी अन्तरः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण से वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31—03—2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹1,79,907/—का अन्तर बैंक खातों में अधिक शेष के रूप में है।

क्र•	खाता			अन्त शेष
	रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति के अनुसारः—			
1	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'क' — पैरा 4(1)			30648.00
2	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'ख' — पैरा 4(2)			1321624.00
कुल योग (क):				1352272.00
बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेष :—				
	विवरण	बैंक	खाता	
1	सामान्य निधि — खाता 'क'	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	2537	187702.00
2	अनुदान खाता — खाता 'ख'	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	2637	486739.00
3	अनुदान खाता — खाता 'ख'	हि•प्र•रा•स• बैंक मलोखर	0045	163261.00
4	अनुदान खाता — खाता 'ख'	हि•प्र•रा•स• बैंक मलोखर	3504	109449.00
5	अनुदान खाता — खाता 'ख'	हि•प्र•रा•स• बैंक मलोखर	2085	0.00
6	इन्दिरा/राजीव/अटल आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक मलोखर	2174	183133.00
7	मनरेगा	हि•प्र•रा•स• बैंक मलोखर	1285	444326.00
8	हरियाली परियोजना — अनुदान	ग्रामीण बैंक बिलासपुर	8511	168254.00
9	हरियाली परियोजना— लाभार्थी अंशदान	ग्रामीण बैंक बिलासपुर	8501	152286.00
10	मध्य हिमालय जलागम परियोजना — अनुदान	हि•प्र•रा•स• बैंक मलोखर	5924	62070.00

11	मध्य हिमालय जलागम परियोजना – लाभार्थी अंशदान	हि•प्र•रा•स• बैंक मलोखर	5925	58697.00
कुल योग (ख):				1532179.00
रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर (क – ख):				179907.00

यह अन्तर परिलक्षित करता है कि रोकड़ बहियों के रखरखाव में कितनी लापरवाही बरती गई है। इस अन्तर का दूसरा मुख्य कारण सीमेन्ट को रोकड़ वही से जारी करना भी हो सकता है जिसके बारे में विस्तृत टिप्पणी आगे अलग अनुच्छेद में की गई है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड वही के अन्तिम शेष का बैंक खातों के अन्तिम शेष से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना:–

6.1 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना:–

ग्राम पंचायत की रोकड बहियों के अवलोकन में पाया गया कि हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) की रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। लेखों की जांच में रोकड़ बही के सन्दर्भ में नियम–विरूद्ध की जा रही निम्न विसंगतियां पाई गई हैं:–

6.1 **(क) नियमविरूद्ध एकाधिक रोकड़ वहियों का निर्माण करने बारे:–** हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा पंचायत निधि एवं अनुदान, मध्य हिमालय जलागम परियोजना, मनरेगा तथा हरियाली परियोजना के लिए चार अलग–अलग रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर निर्मित इन चार रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ वहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 **(ख) रोकड़ वहियों के दैनिक व मासिक शेष न निकालने बारे:–** लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्त शेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत सुई सुरहाड़ में रोकड़ बहियों के अन्त शेष न निकालने तथा बैंक खातों

के साथ मिलान न किए जाने के कारण यह सम्पूर्ण तथा सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करता है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 (ग) **लैजर खातों का निर्माण न किये जाने बारेः–** हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फॉर्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत सुई सुरहाड़ में इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा लैजर खातों के स्थान पर गत उप पैरा में वर्णित विभिन्न योजनाओं के लिए अलग–अलग चार रोकड़ बहियों का निर्माण करने को ही इस नियम की अनुपालना मान लिया गया है। प्रत्येक योजना के लिए अलग लैजर बनाए जाने का उद्देश्य किसी भी समय तुरन्त योजना विशेष के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति तथा उपलब्ध अन्तशेष की जानकारी की उपलब्धता है। परन्तु इन लैजर खातों का निर्माण न करके इस नियम की अवहेलना तो की ही गई है साथ ही जब कभी उपरोक्त सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है तो बार बार आंकड़ों का संकलन करने में समय तथा मानव श्रम की अनावश्यक बरबादी होती है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 नियमों के विरूद्ध ग्यारह बैंक बचत खातों का खोला जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत सुई सुरहाड़ में दो के स्थान गत पैरा 5 में वर्णित ग्यारह बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन नौ अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.3 खाता 'ख' के ₹1,68,564/– के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयँ संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत सुई सुरहाड़ के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹1,68,564/–खाता

'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना था परन्तु नहीं किया गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त **खाता 'क'** में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता संख्या	**माह/वर्ष**						**कुल ब्याज**
	9/2013	3/2014	9/2014	3/2015	9/2015	3/2016	
2637	7295	11957	16271	12886	20327	16499	85235
0045	3400	3374	2230	1243	1398	310	11955
3504	1129	1146	688	271	197	179	3610
2085	278	282	290	292	295	11991	13428
2174	24	752	787	810	73	1391	3837
1285	2505	2439	1901	682	0	0	7527
8511	1359	1706	2121	2425	0	0	7611
8501	11753	12663	5956	1420	0	0	31792
5924	0	0	0	0	28	41	69
5925	0	0	0	0	2605	895	3500
कुल योग	**27743**	**34319**	**30244**	**20029**	**24923**	**31306**	**168564**

6.4 क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार न करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस ऐबस्ट्रैक्ट को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत सुई सुरहाड़ द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

6.5 रोकड़ बही से सीमेन्ट जारी करनाः–

पंचायत के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए खरीदे गए सीमेन्ट को एम॰ ए॰ एस॰ (मैटीरियल ऐट साइट) रजिस्टर/सीमेंट भण्डारण रजिस्टर से सम्बन्धित कार्य को जारी करने के स्थान पर इसे पुनः रोकड़ बही की आय में लेखांकित करते हुए व्यय की तरफ से जारी करने की प्रविष्टियां की गई हैं। रोकड़ वहियों की जांच में पाए गए कुछ ऐसे ही प्रकरण नीचे दी गई तालिका में उद्धृत किए गए हैं। ऐसा किसके तथा किन आदेशों से किया जा रहा है, इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र॰	रोकड़ बही/पृष्ठ	दिनांक	सीमेंट बोरियां
1	सामान्य निधि/27	30–03–2014	70
2	हरियाली परियोजना/67	11–03–2014	95+5 = 100

7 नियमानुसार सावधि जमा (Fixed deposits) में निवेश न करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत सुई सुरहाड़ द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई भी निवेश सावधि जमा (Fixed deposits) में नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा नियमानुसार निवेश रजिस्टर (Investment Register) का रखरखाव भी किया जाए।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना :–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा

अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 राजस्व वसूली बारेः–

9.1 गृह कर राजस्व ₹21,690/–का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत सचिव ग्राम पंचायत सुई सुरहाड़ द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत के गृहकर **₹21,690/–** की वसूली शेष थी।

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	0.00	10845.00	10845.00	10845.00	0.00
2014–15	0.00	10845.00	10845.00	0.00	10845.00
2015–16	10845.00	10845.00	21690.00	0.00	21690.00

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

9.2 मोबाइल टॉवर से देय राजस्व वसूली न करनाः–

पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुचना के अनुसार पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत रिलायन्स कम्पनी का मोबाइल टॉवर स्थापित है। परन्तु पिछले काफी समय से इस सन्दर्भ में कम्पनी के साथ पत्राचार के बावजूद भी अभी तक इस सन्दर्भ में राजस्व वसूली नहीं की जा सकी है। अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए सुझाव दिया जाता है कि खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला पंचायत अधिकारी प्रकरण को अपने स्तर पर सुलझाते हुए कम्पनी से इस राजस्व की वसूली पंचायत निधि में करवाना सुनिश्चित करें।

10 अनुदान की राशि ₹13.22 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा परिशिष्ट–1 व 2 पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2016 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹13,21,624/–की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन

का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 बिना बिल वाउचरों के किया गया ₹1.30 लाख का संदिग्ध व्ययः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। चयनित माह के वाउचरों की जांच में पाया गया कि रोकड़ बही में दर्ज ₹1,29,970/– के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तिकर्ता के उचित आपूर्ती बिल उपलब्ध नहीं थे जिसका विवरण **परिशिष्ट–'3'** में दिया गया है। इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा, जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तिकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, में ही आपूर्तिकर्ता की रसीद दर्शाई गई है तथा पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान तथा पंचायत सदस्यों द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तिकर्ता के बिल तथा उचित रसीद के अभाव में यह व्यय सही प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए भविष्य हेतु इस कार्यविधि को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

12 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹41,205/–के स्टाक/स्टोर का क्रय करना :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹41,205/–के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टाक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र	निधि	दिनांक	रो॰ ब॰ पृश्ठ	क्रय की गई सामग्री	राशि	टिप्पणी
1	सामान्य निधि	24.3.14	26	सरिया 250 कि॰ग्रा॰	11812.00	₹7245/– का भुगतान किया गया
2	सामान्य निधि	5.9.15	74	लैपटॉप की मुरम्मत	4550.00	––
3	हरियाली परियोजना	31.3.14	69	सरिया 257.83 कि॰ग्रा॰	11551.00	––
4	हरियाली परियोजना	31.3.14	70	सरिया 138 कि॰ ग्रा॰	6593.00	रु5950/– का भुगतान किया गया
5	हरियाली परियोजना	31.3.14	71	सरिया 145 कि॰ ग्रा॰	6699.00	––
				कुल योगः–	41205.00	

13 बिना भुगतान आदेश के बिलों का भुगतान करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो। परन्तु पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा बिलों का भुगतान बिना भुगतान आदेश पारित किए ही किया जा रहा है। अतः इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 दिनांक रहित रसीदें जारी करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अधिकतर प्राप्तियों के लिए जारी रसीदों पर जारी करने की दिनांक दर्ज नहीं की गई है। जो कि नियमविरूद्ध होने के अतिरिक्त निधियों का अस्थाई दुर्विनियोजन भी है। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 भंडारण पुस्तकों (Stock/Store Registers) के रख–रखाव में त्रुटियांः–

15.1 भण्डारण पुस्तकों का रख रखाव उचित तरीके से न करनाः–

सरकार द्वारा सरकारी धन से खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-

consumable) सामान के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तिकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत सुई सुरहाड़ में खरीदे गए सामान का इन्द्राज़ करते समय उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। अतः तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग–अलग स्थाई व अस्थाई भन्डारण पुस्तकें लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आबंटित करके प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके।

15.2 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र•	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	––	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के लैजर खाते	7	29(1)
6	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
7	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1) (a & b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 विविध अनियमितताएः–

17.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।

17.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

17.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत के इस फीस के भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी विवरण के बिना ही कर दिया गया है। इसके लिए समस्त अभिलेख मात्र मानदेय रजिस्टर में ही रखा जा रहा है। अतः इस अधूरे अभिलेख के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17.4 व्यय वाउचरों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन पर वाउचर संख्या नहीं लिखी जाती है जो कि हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के प्रावधानों के विरूद्ध है। अतः इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

19 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(12) 7/2016–खण्ड–1–5704–5707 दिनाँकः03.11.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत सुई सुरहाड़, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट '3'

बिना बिल वाउचरों के किया गया संदिग्ध व्यय (पैरा 11 में सन्दर्भित):—

क्र•	दिनांक	रो. ब. पृश्ठ	विवरण	राशि
	सामान्य निधिः			
1	24.9.14	42	ढुलाई मजदूरी	500.00
2	24.9.14	42	ढुलाई मजदूरी	500.00
3	5.9.15	74	ढुलाई मजदूरी	900.00
4	5.9.15	74	ढुलाई मजदूरी	900.00
5	5.9.15	74	ढुलाई मजदूरी	550.00
6	24.9.15	75	बजरी	3500.00
7	24.9.15	75	ईंटें	16500.00
	सामान्य निधिः			
8	11.3.14	67	ढुलाई मजदूरी	3500.00
9	31.3.14	69	ढुलाई मजदूरी	350.00
10	31.3.14	69	ढुलाई मजदूरी	400.00
11	31.3.14	69	ढुलाई मजदूरी	450.00
12	31.3.14	69	ढुलाई मजदूरी	400.00

13	31.3.14	70	रेत व बजरी	13000.00
14	31.3.14	70	रेत व बजरी	14000.00
15	31.3.14	70	रेत व बजरी	6750.00
16	31.3.14	70	रेत व बजरी	6250.00
17	31.3.14	71	बजरी	3750.00
18	31.3.14	71	बजरी	2250.00
19	31.3.14	71	पत्थर	6800.00
20	31.3.14	71	रेत व बजरी	5250.00
21	31.3.14	71	रेत	10000.00
22	31.3.14	72	पत्थर	10200.00
23	31.3.14	72	शटरिंग (रु2250/- के भुगतान के विरूद्ध रु1500/- की ही रसीद ली गई है)	2250.00
24	31.3.14	72	बजरी	11780.00
25	31.3.14	72	रेत	9240.00
			कुल योगः	**129970.00**